बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक–6/वि0पत्रा0–24–89/2023 पटना, दिनांक–..................

प्रेषक,

रणजीत कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी राज्य–कर विशेष आयुक्त,
सभी राज्य–कर अपर आयुक्त,
सभी राज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
सभी राज्य–कर उपायुक्त एवं
सभी राज्य–कर सहायक आयुक्त।

विषय :– उपर्जित/असाधारण अवकाश के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा उपर्जित/असाधारण इत्यादि अवकाश के उपभोग हेतु यदि बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के प्रभार त्याग कर अवकाश के लिए प्रस्थान किया जाता है तो उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1)(ii) के अनुकूल नहीं है।

अतः अनुरोध है कि आकस्मिक स्थिति को छोड़कर उपार्जित/असाधारण इत्यादि अवकाश की स्वीकृति हेतु यथेष्ठ समय के साथ विभाग को विहित प्रपत्र में आवेदन उपलब्ध कराया जाय एवं स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश के लिए नियमानुकूल प्रस्थान किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–6/वि0पत्रा0–24–89/2023 529 /पटना, दिनांकः– 29/01/2025

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने के लिए) आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एवं राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/01/25

विशेष कार्य पदाधिकारी,
वाणिज्य–कर विभाग
बिहार, पटना।